हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए

9.1.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उन्हे क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह ज्ञात हो कि धारा 327,312 नगर पालिका अधिनियम 2009 के विरूद्ध निगरानी सुनने का अधिकार सम्भागीय आयुक्त को है। इस संबंध मे हमने न्यायालय मे उपलब्ध राजस्थान राज–पत्र मे प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 31.3.2010 का अवलोकन किया, जिसमे सम्भागीय आयुक्त को उक्त धारा मे निगरानी सुनने की शक्तियां नही दी गयी है, उक्त धारा मे सुनवाई शक्तियां स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्राप्त है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 10.1.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

9/1/19

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर